

डिक्री एवं मुकदमे ईक्टदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 13/2024

अजायब सिंह पुत्र गुरदयाल कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख सा.
नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

- वादी

बनाम

1 जरनैल सिंह पुत्र गुरदयाल कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख सा.
नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

सिमरजीत कौर पुत्री गुरदयाल कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख सा.

नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया



प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी व श्री चरणजीत सिंह सिद्ध वकील प्रति स. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 27 ए. एम.पी. खाता स. 143/108 खाता अमर कौर वगैरा ज.स. 2072-75 में गुरदयाल कौर पत्नी करतार सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 1 व 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में गुरदयाल कौर पत्नी करतार सिंह का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक वादी व प्रति स. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता से गुरदयाल कौर पत्नी करतार सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल..........मुब्लिक.......... निल..........बाबत्
..........निल..........खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...19.6.2024.....को
जारी किया गया।

+

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

